अशोक भान और एन. के. अग्रवाल से पहले, जे. जे.

मेसर्स इंटरनेशनल स्विचगियर्स,-पिटिशनरवर्सस

चंडीगढ़ और एक और का संघ *क्षेत्र-उत्तरदाता*

1997 का **सी. डब्ल्यू. पी. सं. 6532**

19अगस्त, 1997

पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948- धारा **14-बी-पंजाब** *सामान्य बिक्री* **कर** *(संशोधन) अधिनियम, 1972, जिसे 14 सितंबर, 1977 को अधिसूचित किया गया था, जैसा कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़-मोटर वाहन अधिनियम, 1939- धारा 2 (8)* **और** *(18)- धारा 14-बी के तहत सूचना-हिरासत में रखे गए माल को पशु संचालित गाड़ी में ले जाया जा रहा है।— धारा 14-बी के स्पष्टीकरण I के तहत अभिव्यक्ति 'माल वाहन' को वही अर्थ दिया गया है जो मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 2 (6) में दिया गया है- धारा 14 (6) जब माल को पशु संचालित गाड़ी में ले* **जाया** *जा रहा हो तो आकर्षित नहीं होता है- इसलिए, धारा 14-बी के तहत नोटिस अधिकार क्षेत्र से बाहर है और रद्द किया जा सकता है।*

अभिनिर्धारित **किया गया कि यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि खंड 14 (बी) की उप-खंड (6) माल ले जाने वाली पशु चालित गाड़ी के मामले में भी आकर्षित की जाएगी।उप-धारा (7) में फिर से, माल को हिरासत में लेने वाले अधिकारी को माल के मालिक या उसके प्रतिनिधि या माल वाहन या पोत के चालक या अन्य प्रभारी व्यक्ति का बयान दर्ज करने का अधिकार दिया गया है।इन परिस्थितियों में, राजस्व द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि माल वाहनों के अलावा अन्य वाहन**

अधिनियम की खंड 14बी को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है।चूंकि 'माल वाहन' को 'मोटर वाहन' के रूप में परिभाषित किया गया है, इसलिए इस बात में कोई संदेह नहीं है कि खंड 14-बी उस स्थिति पर लागू होती है जहां कुछ वस्तुओं को मोटर वाहन या जहाज में ले जाया जा रहा है।चूंकि वर्तमान याचिकाकर्ता के मामले में प्राथमिक शर्त पूरी नहीं की गई है, इसलिए अधिनियम की खंड 14बी के तहत कार्यवाही शुरू करना और नोटिस जारी करना अधिकार क्षेत्र के बिना और कानून में गलत माना जाता है।

(पैरा 10)

याचिकाकर्ता की ओर *से अधिवक्ता के. एल. गोयल।*

आर. पी. साहनी, वरिष्ठ अधिवक्ता, राजेश बिंदल, अधिवक्ता *के साथ, प्रतिवादी की ओर से।*

निर्णय

एन. के. अग्रवाल, जे.

1)) यह मैसर्स इंटरनेशनल स्विच-गियर्स, चंडीगढ़, विद्युत वस्तुओं के निर्माता और डीलर, द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 (संक्षेप में, "अधिनियम") की खंड 14B के तहत नोटिस और कार्यवाही को रद्द करने के लिए एक याचिका है, जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पर लागू होती है।

2)) याचिकाकर्ता, एक स्वामित्व वाली संस्था, अधिनियम (जैसा कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पर लागू होता है) और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के तहत भी एक विक्रेता के रूप में पंजीकृत था।एक मेसर्स अग्रवाल इलेक्ट्रिक स्टोर, सेक्टर 22, चंडीगढ़ ने 3,33,433 रुपये में सामान खरीदा। मेसर्स कैसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुंबई से अमृतसर ट्रांसपोर्ट कंपनी द्वारा मुंबई से चंडीगढ़ तक सामान लाया गया था।इन वस्तुओं को मेसर्स अग्रवाल इलेक्ट्रिक स्टोर द्वारा याचिकाकर्ता को दस्तावेजों के हस्तांतरण द्वारा बेचा गया था, याचिकाकर्ता के पक्ष में एक बिक्री बिल भी जारी किया गया था।याचिकाकर्ता, बिल और अनुमोदित माल की रसीद प्राप्त करने के बाद, चंडीगढ़ में परिवहन क्षेत्र से माल की तत्काल डिलीवरी करता है।26 अप्रैल, 1997 को याचिकाकर्ता द्वारा परिवहन क्षेत्र, चंडीगढ़ से औद्योगिक क्षेत्र, चरण II, चंडीगढ़ में अपने व्यावसायिक परिसर में सामान लाने के लिए एक जग्गा से संबंधित पशु-चालित गाड़ी किराए पर ली गई थी।माल ले जा रही उक्त गाड़ी को सहायक उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त द्वारा अधिनियम के तहत जाँच के उद्देश्य से रोका गया था और माल को सत्यापन के लिए हिरासत में लिया गया था।कार्ट-मैन निर्मित

मेसर्स अग्रवाल इलेक्ट्रिक स्टोर द्वारा 26 अप्रैल, 1997 को जारी किया गया बिल जिसमें माल का मूल्य रु 3,75,800।अधिकारी ने माल को हिरासत में लेने के बाद याचिकाकर्ता को अधिनियम की खंड 14बी की उप-खंड (6) और (7) के तहत नोटिस जारी किया।

3)) याचिकाकर्ता ने अधिनियम की खंड 14बी के तहत नोटिस जारी करने को इस आधार पर चुनौती दी है कि उक्त खंड पशु-चालित गाड़ी में ले जाए जाने वाले सामान पर नहीं बल्कि मोटर वाहन पर लागू होती है।जुर्माना लगाने के लिए खंड 14 बी के तहत जारी की गई सूचना को केवल इस आधार पर अधिकार क्षेत्र के बिना कहा जाता है, हालांकि अन्यथा भी, कर चोरी के किसी भी प्रयास का कोई मामला नहीं कहा जाता है।यह तर्क दिया जाता है कि माल को वैध दस्तावेजों के साथ एक वैध लेनदेन के तहत ले जाया जा रहा था क्योंकि कार्टमैन के पास मेसर्स अग्रवाल इलेक्ट्रिक स्टोर, चंडीगढ़ द्वारा जारी बिक्री बिल था।

4)) प्रतिवादी ने अपने जवाब में माल को इस आधार पर रोके जाने को उचित ठहराया है कि माल का परिवहन करने वाले व्यक्ति के पास याचिकाकर्ता के पक्ष में विक्रेता मेसर्स अग्रवाल इलेक्ट्रिक स्टोर द्वारा जारी बिक्री बिल था, लेकिन विक्रेता ने स्थानीय बिक्री कर नहीं लिया था।बिक्री बिल में वस्तुओं को "बिक्री ई-एल लेनदेन" के रूप में दिखाया गया था।हालाँकि केंद्र शासित प्रदेश के भीतर बिक्री के पहले चरण में वस्तुओं पर कर लगाया जाता था, लेकिन कोई बिक्री कर नहीं लगाया गया था।इसलिए, खंड 14बी के तहत माल को उचित रूप से हिरासत में लिया गया था और माल ले जाने वाले व्यक्ति को नोटिस दिया गया था।यह भी अनुरोध किया गया है कि अनुच्छेद 226 के तहत वर्तमान याचिका बनाए रखने योग्य नहीं थी क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा आदेश को चुनौती दी जा सकती है, यदि वह ऐसा करना चाहता है, तो आबकारी और कराधान उपायुक्त के समक्ष अपील दायर करके और उसके बाद, अधिनियम के तहत बिक्री-कर न्यायाधिकरण के समक्ष एक और अपील दायर करके। कहा जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत जमानत बांड के खिलाफ 20 मई, 1997 को सामान जारी किया गया था।

5) याचिकाकर्ता विद्वान अधिवक्ता श्री के. एल. गोयल ने तर्क दिया है कि अधिनियम की खंड 14बी किसी व्यक्ति द्वारा हाथ से चलने वाली या पशु-चालित गाड़ी में सामान ले जाने

पर बिल्कुल भी आकर्षित नहीं थी।पारगमन में माल की जाँच करने की शक्ति कर अवरोध पर एक अधिकारी को उस मामले में उपलब्ध है जहां माल को माल वाहन में आवश्यक दस्तावेजों के बिना ले जाया जा रहा था।

6) प्रतिवादी विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. पी. साहनी ने अधिनियम की खंड 14बी के तहत कार्रवाई को इस दलील के साथ उचित ठहराया है कि माल ले जाने वाले व्यक्ति के पास बिक्री बिल के अलावा कोई अन्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं था।न तो माल की रसीद और न ही ई-1 फॉर्म वाहक के पास उपलब्ध था।

विक्रेता द्वारा दस्तावेजों के हस्तांतरण के माध्यम से पारगमन में बेचा जाता है।विक्रेता मेसर्स अग्रवाल इलेक्ट्रिक स्टोर द्वारा 10 प्रतिशत की दर से बिक्री कर और अतिरिक्त 10 प्रतिशत की दर से अधिभार नहीं लिया गया था।इस प्रकार, लेन-देन पर कर से बचने का प्रयास किया गया।श्री साहनी ने तर्क दिया है कि लेन-देन की वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए अधिनियम की आदेश 14बी के तहत माल की उचित जांच की गई थी और उसे हिरासत में लिया गया था।अधिनियम की खंड 6 (2) के तहत प्रदान किए गए माल के साथ दस्तावेजों पर समर्थन करके माल को पारगमन के दौरान बेचा जा सकता है, लेकिन वर्तमान मामले में, यह राज्य के भीतर एक बिक्री थी यानी एक पंजीकृत व्यापारी से दूसरे को एक स्थानीय बिक्री।

7) अधिनियम की खंड 14बी को पंजाब सामान्य बिक्री कर (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1973 का पंजाब अधिनियम 5) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।केंद्र सरकार ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की खंड 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुछ संशोधनों के साथ पंजाब सामान्य बिक्री कर (संशोधन) अधिनियम, 1972 सहित कुछ अधिनियमों को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक विस्तारित किया।केंद्र सरकार द्वारा 14 सितंबर, 1977 को जारी अधिसूचना ने संशोधित पंजाब अधिनियम को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पर लागू कर दिया।

8) खंड 14बी, जैसा कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए विस्तारित और लागू है, निम्नानुसार हैः—

"धारा 14-बीः

चेक पोस्ट या बाधाओं की स्थापना और पारगमन में माल का निरीक्षणः—

(1) यदि इस अधिनियम के तहत कर चोरी को रोकने या रोकने की दृष्टि से, केंद्र सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है, तो वह अधिसूचना द्वारा ऐसे स्थान या स्थानों पर एक चेक पोस्ट की स्थापना या एक अवरोध या दोनों का निर्माण करने का निर्देश दे सकती है, जिन्हें अधिसूचित किया जा सकता है।

(2) माल वाहन या पोत का स्वामी या प्रभारी व्यक्ति अपने साथ माल वाहन का अभिलेख, एक यात्रा पत्रक या एक लॉग बुक, जैसा भी मामला हो, और बिक्री का बिल या डिलीवरी ध्यान दें जिसमें ऐसे विवरण हों, जो व्यापार के उद्देश्य से माल वाहन या पोत में ले जाए जा रहे सामान के संबंध में निर्धारित किए जाएं, ले जाएगा और उसे माल वाहन या पोत के प्रभारी अधिकारी के सामने पेश करेगा।

किसी भी स्थान पर वाहन या पोत की जाँच करने वाली चौकी या अवरोध या सहायक उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी के पद से नीचे का कोई अन्य अधिकारी।

(3) प्रत्येक चेक पोस्ट या बैरियर पर या किसी अन्य स्थान पर, जब उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा ऐसा आवश्यक हो, माल वाहन या जहाज का चालक या कोई अन्य व्यक्ति प्रभारी वाहन या जहाज को रोकेगा, और इसे तब तक स्थिर रखेगा जब तक उचित रूप से आवश्यक हो, और चेक पोस्ट या बैरियर के प्रभारी अधिकारी या उपरोक्त अधिकारी को पैकेज या पैकेजों को तोड़कर वाहन या जहाज में सामग्री की जांच करने की अनुमति देगा, यदि आवश्यक हो, और ऐसे चालक या अन्य व्यक्ति प्रभारी के कब्जे में ले जाने वाले सामान से संबंधित सभी रिकॉर्ड का निरीक्षण करेगा, जो ऐसी अन्य जानकारी भी प्रदान करेगा जो उपरोक्त अधिकारी द्वारा आवश्यक हो, और यदि आवश्यक समझा जाए तो ऐसा अधिकारी माल की तलाशी भी ले सकता है।

(4) केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की सीमा में प्रवेश करने वाले या ऐसी सीमाएं छोड़ने वाले माल वाहन या पोत का मालिक या प्रभारी व्यक्ति भी, यथास्थिति, ऐसे वाहन या पोत में ले जाए गए माल के बारे में निर्धारित किए गए विवरणों वाली एक घोषणा को तीन बार चेक पोस्ट या बैरियर के प्रभारी अधिकारी के समक्ष देगा और उक्त घोषणा की प्रति को विधिवत सत्यापित करेगा और उक्त अधिकारी द्वारा जाँच के समय उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी के समक्ष उसे वापस कर देगाः

बशर्ते कि जहां केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के बाहर किसी स्थान के द्वारा जाने वाला माल वाहन या पोत उक्त केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरता है, वहां ऐसे वाहन या पोत का मालिक या प्रभारी व्यक्ति उक्त केंद्र शासित प्रदेश में अपने प्रवेश के द्वारा चेक पोस्ट या बैरियर के प्रभारी अधिकारी को एक प्रति प्रस्तुत करेगा।

निर्धारित प्रपत्र में घोषणा करें और उससे विधिवत सत्यापित एक प्रति प्राप्त करें।माल वाहन या पोत का मालिक या प्रभारी व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, बयालीस घंटे के भीतर उक्त प्रति उस केंद्र शासित प्रदेश से बाहर निकलने के बिंदु पर चेक पोस्ट या बैरियर के प्रभारी अधिकारी को देगा, जिसमें विफल रहने पर वह चेक पोस्ट या प्रवेश के बैरियर के प्रभारी अधिकारी द्वारा लगाया जाने वाला जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी होगा, जो दो हजार रुपये या माल के मूल्य के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, जो भी अधिक हो।—

बशर्ते कि कोई जुर्माना तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया हो।

(5) रेल शीर्ष या डाकघर के अलावा माल के परिवहन के प्रत्येक स्टेशन, बस स्टैंड या किसी अन्य स्टेशन या माल की लोडिंग या अनलोडिंग के

स्थान पर, जब आयुक्त या खंड 3 की उप-खंड (1) के तहत उसकी सहायता के लिए नियुक्त किसी भी व्यक्ति द्वारा आवश्यक हो, तो माल वाहन का चालक या मालिक या परिवहन कंपनी या माल बुकिंग एजेंसी के कर्मचारी परीक्षण के लिए परिवहन रसीदें और परिवहन के लिए ले जाए गए, ले जाए गए, लोड किए गए, उतारे गए, भेजे गए या प्राप्त माल (निर्धारित तरीके से उसके द्वारा बनाए गए) से संबंधित अन्य सभी दस्तावेज और लेखा पुस्तकें पेश करेंगे।आयुक्त या इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को, यह जांचने के उद्देश्य से कि ऐसी परिवहन रसीदें या अन्य दस्तावेज या लेखा पुस्तकें परिवहन के लिए ले जाए गए, ले जाए गए, लादे गए, उतारे गए या भेजे गए या प्राप्त किए गए माल के संबंध में हैं, ऐसे माल के किसी भी पैकेज या पैकेज को तोड़ने की शक्तियां होंगी।

(6) यदि चेक पोस्ट या बैरियर के प्रभारी अधिकारी या उप-धारा (2) में उल्लिखित अन्य अधिकारी के पास यह संदेह करने के कारण हैं कि परिवहन के तहत माल व्यापार के लिए है और उप-धारा (2) या उप-धारा (4) में दिए गए उचित और वास्तविक दस्तावेजों के अंतर्गत नहीं आता है, यथास्थिति, या यह कि माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति इस अधिनियम के तहत देय कर के भुगतान से बचने का प्रयास कर रहा है, वह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से और उक्त व्यक्ति को सुनने के बाद, माल को उतारने और रोकने का आदेश दे सकता है, ऐसी अवधि के लिए जो उचित रूप से आवश्यक हो और उसे केवल माल के मालिक या उसके प्रतिनिधि या चालक या माल के मालिक की ओर से माल वाहन या पोत के प्रभारी अन्य व्यक्ति पर ही ले जाने की अनुमति देगा, जो निर्धारित प्रपत्र और तरीके से कर की राशि प्राप्त करने के लिए प्रतिभूति प्रदान करता है या प्रतिभूति के साथ या उसके बिना बांड निष्पादित करता है, एक हजार रुपये या माल के मूल्य के बीस प्रतिशत से अधिक की राशि के लिए, जो भी अधिक न हो।

बशर्ते कि जहां किसी माल को हिरासत में लिया जाता है, वहां तुरंत एक रिपोर्ट दी जाएगी और किसी भी मामले में माल को हिरासत में रखने वाले अधिकारी द्वारा जिले के आबकारी और कराधान अधिकारी से माल को चौबीस घंटे से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में रखने की अनुमति मांगी जाएगी, जब भी और जब भी आवश्यकता हो, और यदि इसके विपरीत कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो पूर्व यह मान सकता है कि उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है।

(7) माल को हिरासत में लेने वाला अधिकारी माल के मालिक या उसके प्रतिनिधि या माल वाहन या पोत के प्रभारी चालक या अन्य व्यक्ति द्वारा दिया गया बयान, यदि कोई हो, दर्ज करेगा और उससे उचित और वास्तविक दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा, जैसा कि उप-धारा (2) या उप-धारा (4) में निर्दिष्ट है, एक निर्दिष्ट तिथि पर अपने

कार्यालय में, जिस तारीख को अधिकारी संबंधित रिकॉर्ड के साथ कार्यवाही को ऐसे अधिकारी को प्रस्तुत करेगा जो मामले में आवश्यक जांच करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उस ओर से निर्दिष्ट किया जाए।उक्त अधिकारी, जांच करने से पहले, माल के मालिक को एक नोटिस देगा और उसे एक सूचना देगा।

सुनवाई का अवसर और यदि जांच के बाद ऐसे अधिकारी को पता चलता है कि इस अधिनियम के तहत देय कर से बचने का प्रयास किया गया है, तो वह आदेश द्वारा माल के मालिक पर एक हजार रुपये या माल के मूल्य के बीस प्रतिशत में से जो भी अधिक हो, जुर्माना लगाएगा और यदि वह अन्यथा पाता है तो वह माल को छोड़ने का आदेश देगा।

(8) xx xx xx xx xx

(9) xx xx xx xx xx

(10) xx xx xx xx xx

(आई xx xx xx xx xx

स्पष्टीकरण I-इस खंड में, माल वाहन शब्द का वही अर्थ है जो मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की खंड 2 के खंड (6) में दिया गया है, लेकिन इसमें रेल परिवहन के सहयोग से चलने वाला सड़क परिवहन शामिल नहीं है।

स्पष्टीकरण II-उप-धारा (7) के प्रयोजनों के लिए, माल वाहन या पोत के मालिक या चालक या प्रभारी अन्य व्यक्ति के प्रतिनिधि को नोटिस की सेवा माल के मालिक पर एक वैध सेवा मानी जाएगी।

- (9) उप-धारा (2) के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि व्यापार के लिए माल ले जाते समय माल वाहन या पोत के मालिक या व्यक्ति द्वारा कुछ दस्तावेजों को ले जाने की आवश्यकता होती है।उप-धारा (3) में, जांच चौकी या अवरोधक पर तैनात अधिकारी को यदि आवश्यक हो तो पैकेट तोड़कर वाहन या पोत की सामग्री की जांच करने और चालक या अन्य प्रभारी व्यक्ति के कब्जे वाले सामान से संबंधित सभी अभिलेखों का निरीक्षण करने की शक्ति प्रदान की गई है।उप-धारा (4) में, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की सीमा में प्रवेश करने वाले या ऐसी सीमा छोड़ने वाले माल वाहन या पोत के मालिक या प्रभारी व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह निर्धारित प्रपत्र में घोषणा प्रस्तुत करे।उप-धारा (5) में, माल वाहन के चालक या मालिक या परिवहन कंपनी के कर्मचारी से भी परिवहन रसीदें और ले जाए गए, ले जाए गए या लादे गए माल से संबंधित अन्य सभी दस्तावेज और लेखा पुस्तकें जांच के लिए पेश करने की आवश्यकता होती है।उप-धारा (6) में, माल को रोकने की शक्ति चेक पोस्ट या बैरियर के प्रभारी अधिकारी को प्रदान की गई है, यदि परिवहन के तहत माल व्यापार के लिए है और उचित सीमा के अंतर्गत नहीं आता है।

और वास्तविक दस्तावेज माल के मालिक को नोटिस देने और उसे सुनवाई का अवसर देने के बाद माल को हिरासत में लेने वाला अधिकारी जांच कर सकता है।यदि अधिकारी को पता चलता है कि अधिनियम के तहत देय कर से बचने का प्रयास किया गया है, तो वह माल के

मालिक पर जुर्माना लगाएगा।

स्पष्टीकरण 1 में कहा गया है कि "माल वाहन" अभिव्यक्ति का वही अर्थ है जो मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की खंड 2 के खंड (8) में दिया गया है।

मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की खंड 2 का खंड (8) इस प्रकार हैः—

"खंड (8) l-"माल वाहन का अर्थ है माल की ढुलाई के लिए उपयोग के लिए निर्मित या अपनाया गया कोई मोटर वाहन, या कोई मोटर वाहन जो इस तरह से निर्मित या अनुकूलित नहीं है जब इसका उपयोग केवल या यात्रियों के अलावा माल की ढुलाई के लिए किया जाता है।

इस प्रकार, यह प्रतीत होता है कि एक माल वाहन का वही अर्थ है जो एक मोटर वाहन बताता है।

खंड 2 के खंड (18) में "मोटर वाहन" को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः—

"खंड (18):"मोटर वाहन "से कोई भी यांत्रिक रूप से संचालित वाहन अभिप्रेत है जो सड़कों पर उपयोग के लिए अनुकूलित है, चाहे प्रणोदन की शक्ति किसी बाहरी या आंतरिक स्रोत से वहां प्रेषित की गई हो और इसमें एक चेसिस शामिल है जिसमें एक बॉडी संलग्न नहीं की गई है और एक ट्रेलर शामिल है, लेकिन इसमें स्थिर रेल पर चलने वाला वाहन या केवल कारखाने या किसी अन्य संलग्न परिसर में उपयोग के लिए अनुकूलित विशेष प्रकार का वाहन शामिल नहीं है।

(10) जैसा कि पहले देखा गया है, अधिनियम की खंड 14बी की उप-खंड (2) माल वाहन या पोत के मालिक या प्रभारी व्यक्ति को माल का परिवहन करते समय कुछ दस्तावेज ले जाने का आदेश देती है।उप-धारा (3) में भी, वाहन या पोत की सामग्री की जांच करने के लिए एक चेक पोस्ट या बैरियर के प्रभारी अधिकारी को सशक्त बनाते समय माल वाहन या पोत का संदर्भ दिया गया है।चूँकि माल वाहन को मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की खंड 2 के खंड (18) के साथ पठित खंड (8) में एक मोटर वाहन के रूप में परिभाषित किया गया है, जो इस धारणा को जन्म नहीं दे सकता है कि पारगमन में माल का निरीक्षण करने की शक्ति मोटर वाहन के अलावा अन्य वाहकों को दी गई है।उप-खंड (6) वास्तव में विशेष रूप से माल वाहन या पोत का उल्लेख नहीं करती है, लेकिन अधिनियम की खंड 14बी की पूरी योजना माल वाहन या पोत में माल के परिवहन से संबंधित है।

इसलिए, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है, जैसा कि श्री ने तर्क दिया है। साहनी ने कहा कि खंड 14बी की उप-खंड (6) माल ले जाने वाली पशु चालित गाड़ी के मामले में भी आकर्षित होगी।उप-धारा (7) में फिर से, माल को हिरासत में लेने वाले अधिकारी को माल के मालिक या उसके प्रतिनिधि या माल वाहन या पोत के चालक या अन्य प्रभारी व्यक्ति का बयान दर्ज करने का अधिकार दिया गया है।इन परिस्थितियों में, श्री द्वारा याचिका दायर की गई। साहनी कि माल वाहनों के अलावा अन्य वाहन भी अधिनियम की खंड 14बी के तहत आते हैं, स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं।चूंकि "माल वाहन" को "मोटर वाहन" के रूप में परिभाषित किया गया है, इसलिए इस बात में कोई संदेह नहीं है कि खंड 14बी उस स्थिति पर लागू होती है जहां कुछ सामान मोटर वाहन या जहाज में ले जाया जा रहा है।चूंकि वर्तमान याचिकाकर्ता के मामले में प्राथमिक शर्त पूरी नहीं की गई है, इसलिए अधिनियम की खंड 14बी के तहत

कार्यवाही शुरू करना और नोटिस **जारी करना अधिकार क्षेत्र के बिना और कानून में गलत माना जाता है।श्री साहनी ने 'मूट चंद'** ***में इस अदालत के पूर्ण पीठ के फैसले पर रिलायंस रखा।चुनी लालव।श्री मनमोहन सिंह, सहायक*** **उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी और एक अन्य (1) ने कोई मदद नहीं की क्योंकि उसमें प्रश्न अलग था।अधिनियम की खंड 14बी की उप-खंड (7) की जांच की गई ताकि यह तय किया जा सके कि क्या जुर्माना लगाने के प्रावधान और अधिनियम की सामान्य योजना के बीच कोई विरोधाभास मौजूद है। रिलायंस ने इस अदालत के एक और फैसले को 'न्यू दादरी गोल्डन ट्रांसपर्ट कंपनीओ' में रखा।हरियाणा राज्य और अन्य (सी. डब्ल्यू. पी. सं. 1996 का 1964) दिनांक 4 अप्रैल, 1997 का भी कोई लाभ नहीं है क्योंकि उस मामले में याचिकाकर्ता को अपील के वैकल्पिक उपाय का लाभ नहीं उठाते हुए पाया गया था।हमारे समक्ष मामले में, यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है; हस्तक्षेप कर सकता है, क्योंकि यह पाया जाता है कि चुनौती के तहत आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना है और कानून में बुरा है।**

(1) परिणामस्वरूप, रिट याचिका सफल हो जाती है और अधिनियम की खंड 14बी के तहत नोटिस जारी करने और कार्यवाही शुरू करने को रद्द कर दिया जाता है।

(12) लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

आरएनआर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आकांक्षा सैनी

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

सोनीपत(हरियाणा)